प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा–द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2022
प्र. ई. रि. स. ....270/2022.......... दिनांक ....1/7/2022..........

(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये **7 पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधन)**
(ब) अधिनियम.............. **भा.द.स.** धारायें **.120बी**
(स) अधिनियम ....धारायें..
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....21..........समय.........7.30P.M...........................
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– **गुरूवार :– 30.06.2022 समय 02.42 पी.एम.**
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक– **23.06.2022 समय 12.10 पी.एम**

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – **उत्तर–पश्चिम बफासला करीब 80 किलोमीटर**
(ब) पता – **सरहद सगरेव–नाथडियास रोड, तहसील रायपुर , जिला–भीलवाडा**
बीट संख्या ....जरायमदेही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना..जिला..

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – **श्री देवेन्द्र स्वर्णकार**
(ब) पिता का नाम.... **श्री शान्तिलाल स्वर्णकार**
(स) जन्म तिथि /वर्ष :– **34 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसायः– **व्यापार**
(ल) पता– **तोषनीवालो का नोहरा, राईजी मोडा की गली, पुरानी धानमंडी, भीलवाडा**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री शंकर लाल पुत्र श्री उदयलाल रेगर उम्र 60 साल निवासी नान्दसा–क, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा।**
2. **श्री लादुलाल पुत्र श्री मांगीलाल रेगर उम्र 43 साल, निवासी ओज्याडा, पुलिस थाना हमीरगढ, जिला–भीलवाडा हाल पटवारी, पटवार हल्का–सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा।**

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
6,000/–. रिश्वत राशि

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो) **6,000/–. रिश्वत राशि**

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भीलवाडा कृर्षि मंडी

विषयः— कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मेरे पिताजी के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला—भीलवाडा में आराजी संख्या 3332/1110 रकबा 0.14 हैक्टर, आराजी संख्या 3336/1113 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी संख्या 3337/1118 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी संख्या 3339/1119 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी संख्या 3339/1120 रकबा 0.42 हैक्टर, आराजी संख्या 3341/1123 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी संख्या 3343/1124 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 3345/1158 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे पत्थरगढी करवाने के लिये मेरे पिताजी ने तहसीलदार रायपुर के यहा आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार रायपुर ने दिनांक 05.03.2020 को पत्थरगढी करने का आदेश जारी किया। मेरे पिताजी ने आदेश की पालना में दिनांक 14.12.2020 को 200/— का राजकीय शुल्क भी जमा करवा दिया। इसके बाद मैं और मेरे पिताजी पटवारी नाहरी लादुलाल जी व गिरदावर नाहरी शंकर लाल जी से कई बार मिले किन्तु वे हमेशा टालमटोल कर रहे है और पत्थरगढी नही कर रहे है। मैं और मेरे पिताजी पटवारी नाहरी व गिरदावर नाहरी से दिनांक 28.05.2022 व 21.06.2022 को मिले तो उन्होने हमारे से 5—5 हजार रूपये के हिसाब से कुल 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की और हमे कहा कि मैं फोन करू तक तुम लोग पैसे लेकर आ जाना जो तुम्हारे पत्थरगढी का काम कर देगे। मेरी दिनांक 22.06.2022 को सुबह गिरदावर श्री शंकरलाल जी से मोबाईल फोन पर बात हुई तो उन्होने हमे कल दिनांक 24.06.2022 को सुबह पत्थरगढी के लिये बुलाया है। मैं और मेरे पिताजी पत्थरगढी के जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहते बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहते है, हमारी पटवारी व गिरदावर से कोई रंजिश नहीं हैं व नही हमारा कोई आपसी रूपयो का लेन—देन बकाया हैं, मेरे पिताजी अभी तो मेरे साथ आये है, पर वे बुजुर्ग होने से ट्रैप कार्यवाही मैं ही कराउंगा, कार्यवाही कराने की कृपा करावें।

दिनांक :— 23.06.2022

प्रार्थी

एसडी शान्ति लाल

एस.डी. देवेन्द्र
देवेन्द्र स्वर्णकार पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार
निवासी तोषनीवालो का नोहरा, राईजी मोडा की
गली, पुरानी धानमंडी, भीलवाडा।
मो.न. 78771—91002

पलिस उप अधीक्षक श्री शिव प्रकाश
रिपोर्ट पर विधिक कार्यवाही करें।
एसडी ब्रजराज सिंह 23.06.22
एसडी श्री त्रिलोक चंद कोली
30/6/2022
एस डी श्री कैलाश चंद चौधरी
30.06.2022

कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा—द्वितीय

दिनांक 23.06.2022 समय 12.15 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय ने परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार पुत्र श्री शान्तिलाल स्वर्णकार निवासी तोषनीवालो का नोहरा, राईजी मोडा की गली, पुरानी धानमंडी, भीलवाडा द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को आवश्यक

कार्यवाही का पृष्ठाकंन कर मय परिवादी व उसके पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के सूपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार व श्री शान्तिलाल स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी व उसके पिता को सुनाई गई तो परिवादी व उसके पिता ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में आराजी संख्या 3332/1110 रकबा 0.14 हैक्टर, आराजी संख्या 3336/1113 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी संख्या 3337/1118 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी संख्या 3339/1119 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी संख्या 3339/1120 रकबा 0.42 हैक्टर, आराजी संख्या 3341/1123 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी संख्या 3343/1124 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 3345/1158 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे पत्थरगढी करवाने के लिये मेरे पिताजी ने तहसीलदार रायपुर के यहा आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार रायपुर ने दिनांक 05.03.2020 को पत्थरगढी करने का आदेश जारी किया। मेरे पिताजी ने आदेश की पालना में दिनांक 14.12.2020 को 200/– का राजकीय शुल्क भी जमा करवा दिया। इसके बाद मैं और मेरे पिताजी पटवारी नाहरी लादुलाल जी व गिरदावर नाहरी शंकर लाल जी से कई बार मिले किन्तु वे हमेशा टालमटोल कर रहे है और पत्थरगढी नही कर रहे है। मैं और मेरे पिताजी पटवारी नाहरी व गिरदावर नाहरी से दिनांक 28.05.2022 व 21.06.2022 को मिले तो उन्होने हमारे से 5–5 हजार रूपये के हिसाब से कुल 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की और हमे कहा कि मैं फोन करू तब तुम लोग पैसे लेकर आ जाना जो तुम्हारे पत्थरगढी का काम कर देगे। मेरी दिनांक 22.06.2022 को सुबह गिरदावर श्री शंकरलाल जी से मोबाईल फोन पर बात हुई तो उन्होने हमे दिनांक 24.06.2022 को सुबह पत्थरगढी के लिये बुलाया है। मैं और मेरे पिताजी पत्थरगढी के जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहते बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहते है, हमारी पटवारी व गिरदावर से कोई रंजिश नहीं हैं व नही हमारा कोई आपसी रूपयो का लेन–देन बकाया है, मेरे पिताजी अभी तो मेरे साथ आये है, पर वे बुजुर्ग होने से ट्रैप कार्यवाही संबधित समस्त कार्यवाही मैं ही कराऊंगा, मजमुन रिपोर्ट व परिवादी व उसके पिताजी से दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि लेन–देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का पाया जाता हैं। समय 12.30 पी.एम. पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया खाली मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार को वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत कराया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने कल हमारी जमीन की पत्थरगढी के लिये, हमे बुलाया है, अतः मैं और मेरे पिताजी दिनांक 24.06.2022 को सुबह 10 बजे भीलवाडा से रवाना होकर नाहरी जायेंगे, आप आपके किसी कर्मचारी को हमारे साथ भिजवा देना, मैं मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक को तलब कर परिवादी का व श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी को हिदायत की कि कल प्रातः 10.00 बजे श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक आपको कार्यालय में तैयार मिलेगे, जिन्हे मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु आपके साथ भिजवा दूंगा। सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व उसके पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार को आवश्यक समझाईश कर पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 06.00 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया खाली मेमोरी कार्ड निकलवा कर श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक को सिपूर्द कर निर्देशित किया कि दिनांक 24.06.2022 को प्रातः 10.00 बजे परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के साथ नाहरी जाकर आरोपीगण से परिवादी की वार्ता करवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवावे, तथा सरकारी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पूर्ण सुरक्षित व स्वयं की जिम्मेदारी से सुरक्षित रखे। दिनांक 28.06.2022 समय 10.00 ए.एम. पर श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 24.06.2022 को प्रातः 10.00 बजे मैं और परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व उसके पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के साथ परिवादी की कार से कार्यालय से रवाना होकर करीब 12.00 बजे नाहरी गांव पहुॅचे, परिवादी से आरोपीगणो की लोकेशन मालुमात करवायी तो परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार ने लोकेशन मालूमात कर बताया कि

गिरदावर तो पटवार भवन मे बैठा है, लेकिन पटवारी राजकार्य से रायपुर गया है, जो शाम को 4–5 बजे तक आयेगा। जिस पर मैं व परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार व उसके पिता शान्तिलाल स्वर्णकार नाहरी गांव मे ही सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहे, करीब 5 बजे परिवादी ने गिरदावर से सम्पर्क किया तो गिरदावर ने कहां कि जरीफ पकडने वाले दो मजदूरो को साथ लेकर तुम और तुम्हारे परिवार वाले खेत पर चलो, मै और पटवारी तुम्हारे खेत पर पत्थरगढी करने पहुँच रहे है, जिस पर मैं व परिवादी और परिवादी के पिता तथा उनके द्वारा बुलवाये स्थानीय दो मजदुरो को साथ लेकर नाहरी गांव के पास परिवादी के खेत पर पहुँचे, थोडी देर बाद पटवारी और गिरदावर नाहरी मोटरसाईकिल से परिवादी के खेत पर आये, परिवादी और गिरदावर ने खेत पर पत्थरगढी के लिये खेत का माप शुरू किया, थोडी देर बाद बरगद के पेड की आड मे परिवादी को ले जाकर मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी को चालुकर सिपूर्द कर दिया। मै भी वहां मौजुद रहकर पत्थरगढी के कार्य को दूर से देखता रहा। पत्थरगढी का कार्य हो जाने पर परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार और उसके पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार ने पटवारी व गिरदावर से पत्थरगढी के कार्य के संबध मे बातचीत की, उस दौरान थोडी दूरी पर जरीफ पकडने वाले मजदूर और अन्य लोग और मैं भी खडे हुए थे। बातचीत के बाद पटवारी व गिरदावर के वहां से मोटरसाईकिल से रवाना हो जाने पर परिवादी ने चालु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे पेश किया, जिसे मैने बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी पटवारी व गिरदावर से पत्थरगढी के काम के संबध में बातचीत हो गयी है। पटवारी ने 5–5 हजार रूपये के हिसाब से 10,000 रूपये रिश्वत के मांगे, मेरे द्वारा 2 हजार रूपये पूर्व मे देने की कहने पर उन्होने व पैसा बटवारे की एवज मे देना बताया। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा कम करने की कहने पर दोनो 8,000 रूपये लेने के लिये सहमत हुये, जिसमे से 2,000 रूपये मैने उसी समय गिरदावर श्री शंकरलाल को दे दिये, शेष 6,000 रूपये रिश्वत के आईन्दा व्यवस्था कर देना तय किया। उसके बाद मै, परिवादी व उसके पिताजी परिवादी के नाहरी स्थित खेत से परिवादी की कार से रवाना होकर भीलवाडा कार्यालय आये, परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार व उसके पिता को आवश्यक निर्देश देकर रवाना कर दिये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 24.06.2022 की दर्ज वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखा। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से निकलवा कर आपको पेश किया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 की रिकॉर्डशुद्वा मॉग सत्यापन वार्ता को चालुकर सुना तो श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 24.06.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार उपस्थित आया और श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो की ताईद कर बताया कि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 के दौरान कुल 8,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिये दोनो आरोपीगणो सहमत हुये जिसमे से 2,000 रूपये मैंने उसी दौरान गिरदावर को दे दिये, शेष 6,000 रूपये और देना तय हुआ, जो मैने उन्हे आईन्दा दे देना बताया। परिवादी ने बताया कि दो दिन मेरे पारिवारिक कार्य होने से बाहर जाने से दिनांक 30.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार को निर्देशित किया कि दिनांक 30.06.2022 को प्रातः 08.00 बजे मय रिश्वत राशि 6,000 के कार्यालय मे उपस्थित आवे। दिनांक 29.06.2022 समय 03.45 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा के नाम तहरीर लिखकर दो गवाह ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पर भिजवाने हेतू श्री रामेश्वर लाल कानि को तहरीर सिपूर्द कर रवाना कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा किया गया। समय 05.00 पी.एम. पर श्री रामेश्वरलाल कानि मय कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा से गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली कनिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति–सुवाणा, जिला–भीलवाडा व श्री कैलाश चंद चौधरी संगणक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा को हमरा लेकर उपस्थित आया। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व दिनांक 30.06.2022 को प्रातः 08.00 बजे पुनः उपस्थित होने के लिये पाबन्द कर रूखसत किया गया। समय 05.15 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वितीय को श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम को मय वाहन सरकारी टवेरा मय चालक के दिनांक 30.06.2022 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु सहायतार्थ 08.30 ए.एम. पर चौकी भीलवाडा–द्वितीय

पर तलब करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 30.06.2022 समय 08.30. ए.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी भीलवाडा–प्रथम से श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम मय वाहन सरकारी टवेरा चालक श्री हेमेन्द्र सिंह के कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 08.35. ए.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार उपस्थित कार्यालय आया। समय 08.40 ए.एम. पर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा से पूर्व मे पाबन्दशुद्वा स्वतन्त्र गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली कनिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति–सुवाणा, जिला–भीलवाडा व श्री कैलाश चंद चौधरी संगणक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व कार्यालय कक्ष में बिठाया। समय 08.50 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित सुदा स्वतंत्र गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली कनिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति–सुवाणा, जिला–भीलवाडा व श्री कैलाश चंद चौधरी संगणक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा को बुलाने के प्रयोजन से अवगत करवाया। परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से निकलवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 24.06.2022 को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझकर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये प्रस्तुत किये। नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक, भ्र.नि. ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार की जामा तलाशी गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहने हुए पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये, तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री महेन्द्र कुमार कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये, गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप

पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार ने बताया कि मेरे पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार का आरोपीगण विश्वास करते है, इसलिए मैंने उनको बुलाया है जो कार्यालय के बाहर आये हुये है, जो लेन–देन के समय मेरे साथ रहेगें। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी के पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार को कार्यालय मे बुलाया व ट्रैप पार्टी का आपस में परिचय करवाया गया। समय 11.50 ए.एम. पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि, श्री प्रेमराज कानि सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री हेमेन्द्र सिंह मय ट्रेप बॉक्स व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के तथा श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि मय स्वतन्त्र गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली, श्री कैलाश चंद चौधरी, श्री शिवराज सिंह कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक विनोद कुमार व परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार मय रामेश्वर लाल कानि, परिवादी के पिता श्री शान्तिलाल परिवादी की प्राईवेट कार नं आर.जे. 09 सी.ए. 2882 के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय से रायपुर की ओर रवाना हो समय 01.45 पी.एम. पर रायपुर पहुँचा। समय 02.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के फोन से आरोपी श्री शंकर लाल रेगर भू–अभिलेख निरीक्षक से वार्ता करवा कर लोकेशन मालूमात करवायी तो आरोपी श्री शंकर लाल रेगर भू–अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि वह सगरेव–नाथडियास रोड पर पत्थरगढी का कार्य कर रहा है और परिवादी को रिश्वत राशि लेकर वही आने के लिये बुला रहा है। समय 02.05 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय सरकारी वाहनो व परिवादी की कार से रायपुर से रवाना सगरेव–नाथडियास रोड पर हुआ। समय 02.20 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो सगरेव से करीब 2 कि.मी. आगे सगरेव–नाथडियास रोड पर अस्थायी क्रेशर प्लान्ट के सामने पहुँचा, जहां दूर से एक खेत मे कुछ लोग खडे हुये नजर आये, जिस पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार से पुनः आरोपी श्री शंकर लाल रेगर के फोन पर वार्ता करवा लोकेशन की मालुमात करवायी तो आरोपी श्री शंकर लाल रेगर ने बताया कि सगरेव–नाथडियास रोड पर अस्थायी क्रेशर प्लान्ट के पास आ जावो। समय 02.28 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड लगा हुआ हैं, परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालुकर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार को सुपुर्द कर परिवादी को मय अपने पिता श्री शान्तिलाल के परिवादी की कार से सगरेव–नाथडियास रोड पर बांयी तरफ कच्चे रास्ते पर अस्थायी क्रेशर प्लान्ट के पास आरोपीगण के पास रवाना किया। परिवादी अपनी कार से रवाना होकर रोड़ से नीचे उतर कर क्रेशर प्लान्ट के पास पहुँच अपनी कार खड़ी कर परिवादी व उसके पिता दोनो पैदल–पैदल ही खेत में कुछ व्यक्तियो के पास जाकर वार्ता करते हुआ नजर आये। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के वाहनो मे मुकिम रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुआ। समय 02.42 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने निर्धारित ईशारा अपने अपने सिर पर हाथ फेर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, शिवप्रकाश ने दोनो उक्त गवाह मय ट्रेप पार्टी सदस्य गोपाल जोशी हैड कानि. 65, प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि., श्री प्रेमराज कानि. 225, श्री शिवराज सिंह कानि. 235, श्री रामेश्वर लाल कानि 250, श्री महेन्द्र कुमार कानि 372 मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या RJ-14-UC-8657 मय चालक श्री विनोद कुमार 378 मय सरकारी वाहन टवेरा संख्या RJ-14-UC-8904 चालक श्री हेमेन्द्र सिंह कानि चालक के सगरेव–नाथडियास डामर रोड से अस्थायी क्रेशर प्लान्ट के पास पहुँचा, सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी वाहन टवेरा को अस्थायी क्रेशर प्लान्ट के पास खडा कर चालको को दोनो वाहनो के पास छोडकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पास पहुँचा, जहां परिवादी मय अपने पिता श्री शान्तिलाल के उपस्थित मिला। जहॉ परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने चालू डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने लेकर बंद किया। इसके पश्चात परिवादी व उसके पिता शान्तिलाल को हमरा ले परिवादी के बताये अनुसार पास स्थित खेत में प्रवेश हुये तो आगे खेत पर दो व्यक्ति खडे हुये मिले और दो ग्रामीण व्यक्ति पीछे की तरफ चले गये, परिवादी के साथ मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के खेत पर सामने खडे दो व्यक्तियों की तरफ परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने ईशारा करते हुए बताया कि दाहिनी तरफ सामने दाढी वाले शंकर लाल जी रेगर गिरदावर साहब है व बांयी तरफ पास ही पटवारी श्री लादु लाल जी रेगर खडे है। मैंने अभी–अभी शंकर लाल जी रेगर गिरदावर को उनके मांग अनुसार 6,000 रूपये रिश्वत राशि दी जिन्होने अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई

पेंट की दाहिनी तरफ की पीछे की जेब में रखे है। जिस पर उक्त दोनो व्यक्तियो को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराकर उनका व जाने वाले व्यक्तियो का नाम पता पूछा तो दाहिने तरफ खडे व्यक्ति ने अपना नाम शंकर लाल पुत्र श्री उदयलाल रेगर उम्र 60 साल निवासी नान्दसा–क, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा व बांयी तरफ खडे व्यक्ति ने अपना नाम लादुलाल पुत्र श्री मांगीलाल रेगर उम्र 43 साल, निवासी ओज्याडा, पुलिस थाना हमीरगढ, जिला–भीलवाडा हाल पटवारी, पटवार हल्का–सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा होना बताया व जाने वाले व्यक्ति खेत मालिक श्रीमति कंचन देवी शर्मा निवासी सगरेव का भाई श्री पारस शर्मा व दूसरा व्यक्ति जरीफ पकडने के लिये बुलाया गया मजदूर था, जिसका नाम पता हमे नही पता। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दाहिनी तरफ खडे श्री शंकर लाल रेगर भू–अभिलेख निरीक्षक से परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में स्थित आराजी पर तहसीलदार रायपुर के दिनांक 05.03.2020 के पत्थरगढी करने के आदेश की पालना में पत्थरगढी करने की एवज में परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार से स्वयं व पटवारी लादू लाल रेगर के लिये 10,000 रूपये की मांग कर 8,000 रूपये लेने के लिये सहमत हो दिनांक 24.06.2022 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000 रूपये ग्रहण कर शेष राशि 6,000 रूपये अपनी मांग के अनुसार ईमरोज परिवादी से प्राप्त किये है क्या ? जिस पर श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास ने बताया कि मैंने श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में स्थित आराजी की तहसीलदार रायपुर के दिनांक 05.03.2020 के पत्थरगढी करने के आदेश की पालना में मैंने और पटवारी लादूलाल ने दिनांक 24.06.2022 को पत्थरगढी कर दी थी, मैंने श्री देवेन्द्र स्वर्णकार से रिश्वत की मांग नही की थी। परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार आज श्रीमति कंचन देवी शर्मा निवासी–सगरेव के खेत ग्राम–सरहद सगरेव, रायपुर, जिला–भीलवाडा पर पत्थरगढी के कार्य करने के दौरान मेरे पास आया और मेरे को 6,000 रूपये अपनी मर्जी से देकर चला गया। मैने देवेन्द्र स्वर्णकार से पैसे की मांग नही की थी, वह खुद अपनी मर्जी से ही देकर गया है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने आरोपी पर श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास की उक्त बात का खण्डन करते हुए स्वतः बताया कि ये झूंठ बोल रहे है हकीकत यह है कि मेरे पिताजी के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में स्थित आराजी पर तहसीलदार रायपुर के दिनांक 05.03.2020 के पत्थरगढी करने के आदेश की पालना में पत्थरगढी करने की एवज मे मेरे से शंकर लाल जी रेगर गिरदावर ने स्वयं व पटवारी लादूलाल रेगर के लिये 10,000 रूपये की मांग की, मेरे द्वारा कम करवाने की कहने पर 8,000 रूपये लेने के लिये सहमत हो दिनांक 24.06.2022 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000 रूपये ले लिये थे, शेष 6,000 रूपये इनकी मांग के अनुसार ईमरोज मैने दिये है। जिस पर पुनः श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास को परिवादी के बताये उक्त तथ्य के बारे मे पूछा तो श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास मौन हो गया व कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई। तत्पश्चात पास ही खडे श्री लादू लाल रेगर पटवारी को पूछा कि आपने परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में स्थित आराजी पर तहसीलदार रायपुर के दिनांक 05.03.2020 के पत्थरगढी करने के आदेश की पालना में पत्थरगढी करने की एवज में परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार से दिनांक 24.06.2022 को पत्थरगढी के दौरान श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास के साथ अपने व श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास के लिये रिश्वत की मांग की है क्या ? तथा अभी श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि में आपका भी आधा हिस्सा है क्या ? जिस पर श्री लादूलाल रेगर पटवारी सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी ने बताया कि हमने दिनांक 24.06.2022 को परिवादी के पिताजी के नाम की आराजी की पत्थरगढी कर दी थी, मैंने श्री देवेन्द्र स्वर्णकार से रिश्वत की मांग नही की थी। परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार आज श्रीमति कंचन देवी शर्मा निवासी–सगरेव के खेत ग्राम–सरहद सगरेव, रायपुर, जिला–भीलवाडा पर पत्थरगढी के कार्य करने के दौरान श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास के पास आया और उन्हे एक तरफ लेकर गया था तथा उनके मध्य आपस में क्या वार्ता हुई इसकी जानकारी मुझे नही है, मैने उनको पैसे लेते–देते हुए नही देखा था। मैने देवेन्द्र स्वर्णकार से दिनांक 24.06.2022 को पैसे की मांग भी नही की थी, ना ही आज मैने कोई रिश्वत राशि ग्रहण की ना ही इसकी

मुझे जानकारी है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार ने आरोपी श्री लादूलाल पटवारी की उक्त बात का खण्डन करते हुए स्वतः बताया कि ये झूंठ बोल रहे है हकीकत यह है कि मेरे पिताजी के नाम ग्राम नाहरी, तहसील रायपुर, जिला–भीलवाडा में स्थित आराजी पर तहसीलदार रायपुर के दिनांक 05.03.2020 के पत्थरगढी करने के आदेश की पालना में पत्थरगढी करने की एवज मे मेरे से शंकर लाल जी रेगर गिरदावर व पटवारी लादूलाल जी रेगर ने 10,000 रूपये की मांग की थी। श्री लादू लाल जी पटवारी ने मुझे कहा कि दोनो के 5000–5000 रूपये के हिसाब से कुल 10,000/–रूपये की मांग की। मेरे द्वारा कम करने की कहने पर दोनो 8,000 रूपये लेने के लिये सहमत हुये थे, मैने दिनांक 24.06.2022 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000 रूपये इनके सामने श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास को दिये थे और शेष 6,000 रूपये और देने की बात इनके सामने ही हुई थी। उसी मांग के अनुसार ईमरोज मैने 6,000 रूपये श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास को अभी–अभी दिये है, जिस पर पुनः श्री लादूलाल रेगर पटवारी को परिवादी के उक्त तथ्यों के बारे में पूछा तो श्री लादूलाल रेगर मौन हो गया। आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का पर्याप्त संदेह होने पर मौके पर खेत होने और आस–पास कोई सुरक्षित स्थान नही होने से श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास के दाहिने हाथ की कलाई को श्री महेन्द्र कुमार कानि से तथा बांये हाथ की कलाई को श्री शिवराज सिंह कानि से सुरक्षित पकडवायी गई। पटवारी श्री लादू लाल रेगर व भू–अभिलेख श्री शंकर लाल रेगर की मोटरसाईकिलो को अस्थायी केशर प्लान्ट पर सुरक्षित रखवायी व उक्त दोनो का सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड का बस्ता श्री लादू लाल रेगर के पास सुरक्षित रखवाया। समय 03.15 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री लादूलाल रेगर पटवारी, गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली सरकारी वाहन बोलेरो से परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार की कार से परिवादी व श्री शान्तिलाल, श्री रामेश्वर लाल कानि तथा सरकारी वाहन टवेरा से गोपाल जोशी हैडकानि, प्रहलाद कुमार हैडकानि, गवाह श्री कैलाश चंद चौधरी के श्रीमति कंचन देवी शर्मा, सगरेव के खेत से अग्रिम कार्यवाही हेतू सुरक्षित स्थान के लिये रवाना हो समय 03.40 पी.एम. पर आई.टी.आई. रायपुर पहुँचा। प्रभारी आई.टी.आई. रायपुर से आगे की शेष ट्रैप कार्यवाही आई.टी.आई रायपुर परिसर मे करने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त कर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की। समय 03.45 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान श्री त्रिलोक चंद कोली व श्री कैलाश चंद चौधरी व हमराहीयान के समक्ष आई.टी.आई. रायपुर में रखी पानी की मटकी से श्री गोपाल जोशी हैड कानि से साफ पानी मंगाया जाकर एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो दांहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे दाहिने हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवाकर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक के बॉये हाथ की अंगुॅलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो बॉये हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे बॉये हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक की तलाशी गवाह श्री कैलाश चंद चौधरी से लिवाई गई तो गवाह श्री कैलाश चंद चौधरी ने श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक की पहनी हुई पेन्ट बरंग कबूतरी की पीछे की दांहिनी जेब से कुछ रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 500–500/– के 12 नोट कुल 6,000 रूपये होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं

सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू–ब–हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

1.	500 रूपये का एक नोट	0ML	853746
2.	500 रूपये का एक नोट	9KR	334767
3.	500 रूपये का एक नोट	2EQ	096593
4.	500 रूपये का एक नोट	6QL	769557
5.	500 रूपये का एक नोट	8AS	009196
6.	500 रूपये का एक नोट	3LB	403559
7.	500 रूपये का एक नोट	4GB	133708
8.	500 रूपये का एक नोट	3DR	797525
9.	500 रूपये का एक नोट	7FN	958641
10.	500 रूपये का एक नोट	5TK	754393
11.	500 रूपये का एक नोट	3DK	355803
12.	500 रूपये का एक नोट	9SV	645151

उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क "N" अंकित कर कब्जे ए.सी.बी. लिये। इसके पश्चात कानि. रामेश्वरलाल से बाजार से एक पेन्ट मंगवाकर श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक की पहनी हुई पेंट बंरग कबूतरी को ससम्मान उतरवाकर मंगवाई हुई पेंट पहनाई। इसके पश्चात एक अन्य साफ कांच की गिलास में श्री गोपाल जोशी हैडकानि से साफ–पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गिलास के मिश्रण को रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक की उतरवाई पेंट बंरग कबूतरी जिसकी दाहिनी तरफ की पीछे की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई बरंग कबुतरी को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के उक्त रंगहीन मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर उनके द्वारा धोवण के मिश्रण का रंग गुलाबी होना स्वीकार करने पर उक्त धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क P-1, P-2 अंकित किये जाकर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त पेंट की दाहिनी तरफ की पीछे की जेब को सुखाकर पेंट जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा कर उक्त पेंट बरंग कबूतरी को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क–P अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री लादू लाल रेगर पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के हाथ नही लगाने से आरोपी श्री लादू लाल रेगर पटवारी की हाथ धुलवाई की कार्यवाही नही की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के पिता के पत्थरगढी के कार्य से संबधित दस्तावेज के बारे श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक से पूछा तो उसने दस्तावेज अभी श्री लादू लाल रेगर पटवारी के पास बस्ते में होना बताया, श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक को उक्त से संबधित दस्तावेज पेश करने की कहने पर उसने बस्ते से निकाल कर पर्चा मौका ग्राम नाहरी दिनांक 24.06.2022 का 1 पृष्ठ पेश किया, जिसकी कानि श्री महेन्द्र कुमार को भिजवाकर फोटो प्रति कराई जाकर फोटो प्रति पर संबधित के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ए.सी.बी. ली गई। उक्त मूल दस्तावेज व गिरदावर, पटवारी का अन्य सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक के बताये अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल पटवारी गलवा को तलब कर गवाहान की मौजुदगी में हिदायत कर सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व आरोपी श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक के मध्य रिश्वत लेन–देन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। समय 06.05 पी.एम. पर आरोपी श्री शंकर लाल रेगर भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 06.20 पी.एम. पर आरोपी श्री लादू लाल रेगर पटवारी, पटवार हल्का–सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 06.35 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, प्रेमराज कानि, रामेश्वर लाल कानि मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी व उसके पिता श्री शान्ति लाल मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक विनोद कुमार के निरीक्षण घटनास्थल हेतू रवाना हो घटनास्थल खेत श्रीमति कंचन

देवी शर्मा सगरेव–नाथडियास रोड पहुॅच घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटना स्थल तैयार कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये, बाद फारिक घटनास्थल से मय हमराहीयान के रवाना हो समय 07.45 पी.एम. पर आई.टी.आई रायपुर पहुॅचा। समय 07.55 पी.एम. पर श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि, श्री शान्तिलाल मय परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार को उसकी प्राईवेट कार से तथा श्री प्रेमराज कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, मय आरोपी श्री लादू लाल रेगर पटवारी मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक विनोद कुमार के तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय गवाह श्री त्रिलोक चंद कोली, श्री कैलाश चंद चौधरी, श्री गोपाल जोशी हैडकानि, श्री रामेश्वरलाल कानि, श्री शिवराज कानि मय आरोपी श्री शंकरलाल रेगर मय वाहन सरकारी टवेरा मय ट्रैप बॉक्स, सिल्डचिट शुदा रिश्वत राशि, सिल्डचिट शुदा धोवण मिश्रण, सिल्डचिट शुदा आरोपी शंकर लाल रेगर की पेंट आदि आर्टीकल, दिनांक 30.06.2022 की दर्ज लेन देन वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप प्रिन्टर आदि सामग्री के आई.टी.आई रायपुर से रवाना हो दिगर राजकार्य कर समय 10.30 पी.एम. पर एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पहुंचा। परिवादी के पिता श्री शान्तिलाल को रूखसत किया। समय 10.35 पी.एम. पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. श्री रामेश्वर लाल कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी थाना सुभाषनगर के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री शंकर लाल रेगर व श्री लादू लाल रेगर का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 10.45 पी.एम. पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि. से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 बरूबरू परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व आरोपी श्री शंकर लाल रेगर, लादू लाल रेगर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री शिवराज सिंह कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 01.07.2022 समय 12.50 ए.एम. पर श्री महेन्द्र कुमार कानि., श्री रामेश्वर लाल मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवा सुरक्षार्थ पुलिस थाना सुभाषनगर जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर उपस्थित आये। समय 01.00 ए.एम. पर रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता दिनांक 30.06.2022 बरूबरू परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व आरोपी श्री शंकर लाल रेगर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री शिवराज सिंह कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.30 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022, लेन देन वार्ता दिनांक 30.06.2022 को परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता के दोनो मूल मेमोरी कार्ड से 4 पैन ड्राईव में उक्त दोनो वार्ताओं को प्रेमराज कानि से कॉपी करवा तीन पैन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी के लिये, शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.00 ए.एम. पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 लेन देन वार्ता दिनांक 30.06.2022 जो परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता के दोनो मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कागज में पृथक–पृथक लपेटकर कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रख मार्क M अंकित कर सिल चिट कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 03.45 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पहुंच पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन–समझ कर व पढ़कर सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 04. 15 ए.एम. पर जब्तशुदा सिल चिट रिश्वती राशि 6,000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2, जप्तशुद्वा आरोपी शंकर लाल रेगर की पेन्ट मार्क P सिल्डचिट शुदा, तीन पैन ड्राईव सफेद पृथक–पृथक कपडे की थैली में सिल चिट मार्क A-1, A-2, A-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल चिट शुदा दो मेमोरी कार्डस नंग 01 मार्क–M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 04.30 ए.एम. पर पैन ड्राईव बनाने के सम्बन्ध

में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.00 ए.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सकूनत के लिये व श्री प्रहलाद हैडकानि, श्री हेमेन्द्र सिंह चालक मय वाहन टवेरा के एसीबी चौकी भीलवाडा–प्रथम के लिये रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री देवेन्द्र स्वर्णकार के पिता श्री शान्तिलाल स्वर्णकार के नाम ग्राम नाहरी, तहसील–रायपुर जिला–भीलवाडा स्थित आराजी की पत्थरगढी करने की एवज मे श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं श्री लादू लाल रेगर, पटवारी द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी देवेन्द्र स्वर्णकार से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 8,000 रूपये लेने हेतु सहमत होकर दिनांक 24.06.2022 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा 2,000 रूपये प्राप्त कर दोनो आरोपीगणो द्वारा 6,000 रूपये की और मांग करना और अपनी मांग के अनुसरण मे दिनांक 30.06.2022 को परिवादी से श्री शंकरलाल रेगर, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि 6,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखना, जहॉ से रिश्वत राशि 6,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण 1 श्री शंकर लाल पुत्र श्री उदयलाल रेगर उम्र 60 साल निवासी नान्दसा–क, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत–नाथडियास, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा 2. श्री लादू लाल पुत्र श्री मांगीलाल रेगर उम्र 43 साल, निवासी ओज्याडा, पुलिस थाना हमीरगढ, जिला–भीलवाडा हाल पटवारी, पटवार हल्का–सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील–रायपुर, जिला–भीलवाडा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिव प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री शंकरलाल रेगर, भू-अभिलेख, निरीक्षक, वृत्त-नाथडियास, तहसील-रायपुर, जिला-भीलवाड़ा एवं 2. आरोपी श्री लादूलाल रेगर, पटवारी, पटवार हल्का-सगरेव, अतिरिक्त चार्ज नाहरी तहसील-रायपुर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 270/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2372-76 दिनांक 01.07.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

1.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर